



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1725]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2013/श्रावण 2, 1935

No. 1725]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2013/SHRAVANA 2, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2013

का. आ. 2270(अ).—सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रयोजनों के लिए भारतीय सेना में इलेक्ट्रॉनिकी साक्ष्य के जांचकर्ता के रूप में सेना साइबर समूह को अधिसूचित करती है।

[सं. 12(3)/2013-सीएलएफई]

आर. के. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2013

S.O. 2270(E).— In exercise of the powers conferred by section 79A of the Information Technology Act 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby notifies Army Cyber Group as Examiner of Electronic Evidence within Indian Army for the purposes of the Information Technology Act, 2000.

[No. 12(3)/2013-CLFE]

R.K. GOYAL, Jt. Secy.